न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या 84/2016

1– श्री नेमीचन्द पुत्र नन्दराम जी जाति ब्राहम्ण
2– श्रीमति धापूदेवी बैवा शंकरजी
3– श्री रामस्वरूप पुत्र शंकर जी
4– श्री लक्ष्मण पुत्र शंकर जी
5– श्रीमति राधा पुत्री शंकर जी पत्नि भंवर जी
6– श्रीमति शांति पत्नि रामलाल जी
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी जालिया दोयम तहसील विजयनगर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारीस काबिज जायदाद स्व0 शंकर पुत्र नन्दराम जी जाति ब्राहम्ण निवासी जालिया दोयम तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

————वादीगण

ब ना म

1– श्री गोपीलाल पुत्र रंगा जी
2– श्री गणेश बालिग पुत्र महावीर पुत्र रंगा जी
3– श्रीमति बाली पत्नि महावीर पुत्र रंगा जी
4– श्रीमति टन्नु पुत्री महावीर पुत्र रंगा जी
5– श्री कैलाश पुत्र टीकमचन्द
6– श्रीमति सायरी पत्नि टीकमचन्द जी
समस्त जाति तेली निवासी गांव जालिया दोयम तहसील विजयनगर
7– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार विजयनगर
8– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.12.2017

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा जालिया सैकण्ड पटवार क्षैत्र जालिया सैकण्ड तहसील विजयनगर साबिक खसरा नंबर 1809/33 हाल खसरा नंबर 3824 रकबा 03–06–00 किस्म बारानी–3 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पूर्वज श्री रंगा पुत्र किशना तेली जाति तेली निवासी जालिया दोयम वर्षो से काबिज काश्त होने के कारण श्री रंगा की गैर खातेदारी नामान्तकरण संख्या 617 द्वारा प्रदत्त की गई व गैरखातेदारी में प्रदत्त किये जाने के बाद वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 4 के पिता शंकर पुत्र नन्दराम जी को जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 17.2.1978 को बेचान कर उसका कब्जा भी सुपुर्द कर दिया। उक्त खरीदशुदा वादग्रस्त भूमि पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 4 के पिता शंकर पुत्र नन्दराम जी जब तक जीवित रहे उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनके मरने के बाद उनके वारीसान वादीगण का कब्जा काश्त बिना किसी अधिकार के चला आ रहा है। वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण खोलने हेतू रंगा पुत्र किशना ने निर्धारित फार्म भरकर तहसीलदार साहब को दे दिया उसके बावजूद भी वादीगण के पिता शंकर का नाम तत्समय राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित नही हो सका। राजस्व कर्मचारीयो की भूल से राजस्व जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज श्री रंगा पुत्र किशना को खातेदारी प्रदत्त किये जाने व वादीगण के पिता का नाम अंकन करने के बजाये रंगा पुत्र किशना का नाम गैरखातेदारी के रूप में अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को निवेदन किया कि दिनांक 1.6.2016 को गांव जालिया द्वितीय में राजस्व केंप लग रहे है, तो वादीगण के हक में बयान दे देवे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 स्पष्ट इन्कार हो गये। तथा दिनांक 5.6.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 वादग्रस्त आराजी पर आये व वादीगण से गाली गलौच हुये वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहा किन्तु उन्हें बेदखल नही कर सके। जबकि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर गत 37 सालो से कब्जा चला आने के कारण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्तानुसार भी खातेदार प्राप्ति के अधिकारी है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि

.....लगातार

वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा 37 सालो से निरन्तर काबिज काश्त चले आने के कारण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्तो के अनुसार भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र बेचान नही करे। खर्चा वाद दिलाया जावे।

वाद पत्र प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद तामील के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 28.7.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या 7 8 के विरूद्ध वादीगण कोई कार्यवाही नही किये जाने का दिनांक 13.10.2017 को निवेदन किया। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण में नेमीचन्द, रामस्वरूप, रामलाल, रतनलाल के शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के प्रस्तुत कर दस्तावेजात पर प्रदर्श मार्क अंकित किये।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण के हक में वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य ग्राम जालिया द्वितीय की प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श–1 में अंकित खसरा संख्या 3824 रकबा 03–06–00 जो खाता मिल्कियत सरकार काबिल काश्त भूमि दर्ज होना पाया गया। तथा पंजीकृत बेचाननामा प्रदर्श–2 दिनांक 17.2.1978 द्धारा रंगा पुत्र किशना द्धारा नेमीचन्द व शंकर पिसरान नन्दराम को साबिक खसरा नंबर 1809/33 रकबा 3 बीघा भूमि बेचान होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2042 से 2045 प्रदर्श–3 में खसरा नंबर 3824 रकबा 03–06–00 रंगा पुत्र किशना जाति तेली साकिन देह गैर खातेदार दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2046 से 2049 प्रदर्श–4 में खसरा नंबर 3824 रंगा पुत्र किशना गैरखातेदार के स्थान पर लाल स्याही से नामान्तकरण संख्या 1413 दिनांक 1.6.1992 के अनुसार रंगा के स्थान पर गोपीलाल, टीकमचन्द, महावीर पिसरान रंगा दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2050 से 2053 प्रदर्श–5 में खसरा नंबर 3824 गोपीलाल, टीकमचन्द, महावीर पिसरान रंगा कौम तेली गैरखातेदार दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श–6 में खसरा नंबर 3824 में गोपीलाल, महावीर पिसरान रंगा, कैलाश, नौरत पिसरान टीकमचन्द, सायरी पत्नि टीकमचन्द कौम तेली साकिन देह गैर खातेदार राहिन गोपीलाल का हिस्सा राहिन एस0बी0आई0 शाखा विजयनगर मुर्तहिन दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–7 शंकरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र होना पाया गया। वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 4 के पिता ने रंगा पुत्र किशना से विवादित भूमि को सन् 1978 में खरीदना बताया है, जबकि उस समय के दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्धारा पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। जबकि प्रदर्श–1 बाल मिल्कियत सरकार काबिल काश्त भूमि दर्ज होना पाया गया तथा प्रदर्श–3 के अनुसार रंगा पुत्र किशना गैरखातेदारी में इन्द्राज होना अंकित है। जबकि रंगा पुत्र किशना को खातेदारी प्रदान किये जाने का कोई दस्तावेज वादीगण ने प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया इसलिये रंगा पुत्र किशना जो कि गैरखातेदार था उसको विवादित भूमि को कानूनन बेचान करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नही था इसलिये प्रदर्श–2 बेचाननामा कानूनन अवेध होकर केवलमात्र कागजी दस्तावेज है। जबकि विवादित भूमि पर कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी वादीगण द्धारा प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य नही पाये जाने खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.12 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: